

अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO)..... मुकाम.....

बायतु
पामाराम बनाम रीगा राम गणु

किस्म मुकदमा... RP आवेदन 111 128 नं. 32 सन् 2020

RLR A-1-


तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19/2/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>खेताराम गणु</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u></p> <p>राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/2/2020</u> को पेश हो।</p> <p><u>खेताराम गणु</u></p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>	
25.2.2020	<p>प्रार्थी वकील उपरोक्त विप्रार्थी गणु के नोटिस तामिल शुद्धाशुद्ध, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी गणु वाद-जुद तामिल अन्तर्गत न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। अन्तिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थी गणु स्वयं था उसी आर वे कोई आधिकारिक उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही डूमस में लाई जा रही है और पत्रावली वादन कलस दिनांक 11/3/2020 को पेश हो।</p> <p><u>खेताराम गणु</u></p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>	



11.3.2020

प्रार्थी वकील उपर | विप्रार्थीगण अनुपस्थित।
 प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। मा. अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत सेट सेट आए हुए हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के सेटों के बीच जो पुरानी माद एवं कण्डा हुए हैं जो वर्तमान में आधियों की कजह से बिकर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। वर्षान्त के होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में खेती कर लेते हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेखमवेदी काफाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमवेदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमवेदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का नेखमवेदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाघतु को कमीशनर एवं सम्बंधित डी. डी. मिर्झा के सहायक कमीशनर (निमुक्त) किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमवेदी मौके पर नियमानुसार कमीशनर (शुल्क 500/-) जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फंसल शुमा हो फर्क नम्बर ले काम हो दाखिल फफल हो।


 सहायक कलक्टर
 (SDO) बाघतु

11/3/2020

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2020/267

दिनांक:- 11.03.2020

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. बालाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट
निवासी चौखला तहसील बायतु
जिला बाड़मेर

1. गंगाराम पुत्र भगवानाराम वगैरा निवासी
चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 32/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चौखला पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 447/249 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।



11.03.2020
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2020/268 to 272

दिनांक:-

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बालाराम
4. विप्रार्थीगण श्री गंगाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु/नागाणा।

11.03.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु